

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 124]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 मार्च 2014—फाल्गुन 13, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2014

क्र. एफ ए-3-02-2014-1-पांच (11).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-195-2005-1-पांच (25), दिनांक 31 मार्च 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 22-क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“22-क. समस्त प्रकार के तिलहन (काटन सीड को छोड़कर).”.

2. यह अधिसूचना “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2014

क्र. एफ ए-3-02-2014-1-पांच (11).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-02-2014-1-पांच (11), दिनांक 4 मार्च 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

Bhopal, the 4th March 2014

No. F.A-03-02-2014-1-V-(11).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20, of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. A-3-195-2005-1-V(25), dated 31st March 2006, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 22-A and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

“22-A All kinds of Oilseeds (Other than Cotton Seeds).”.

2. These amendment shall come into force from the date of publication in the “Madhya Pradesh Gazette”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAMESHWAR MISHRA, Dy.Secy.